

दिल्ली विकास प्राधिकरण
(वित्त एवं व्यय)

वित्त एवं व्यय परिपत्र सं. 22

प्राधिकरण ने अपने संकल्प सं. 208 दिनांक 25/02/1967 के माध्यम से उपाध्यक्ष को दि.वि.प्रा. का विभागाध्यक्ष घोषित किया है तथा मूल नियमों, पूरक नियमों और केन्द्रीय वित्तीय नियमों के अंतर्गत विभिन्न शक्तियां प्रदत्त की हैं तथा उन्हें प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी को ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित करने का प्राधिकार दिया है जैसा उनको उपयुक्त लगे।

1. उपर्युक्त प्राधिकार के आधार पर, उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने इसके साथ संलग्न विवरण (अनुलग्नक 'क', 'ख' और 'ग') में यथा निर्दिष्ट कुछ अधिक वित्तीय शक्तियां प्राधिकरण के विभिन्न अधिकारियों को प्रदान की हैं।
2. इन शक्तियों का उपयोग बजट प्रावधानों की उपलब्धता तथा समय-समय पर जारी मूल नियमों, पूरक नियमों, सामान्य वित्तीय नियमों तथा वित्तीय नियम 1958 के प्रत्यायोजन में भारत सरकार द्वारा निर्धारित किन्हीं सामान्य प्रतिबंधों, पैमानों अथवा सीमाओं को ध्यान में रखने की शर्त के अधीन होगा।
3. वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. की अध्यक्षता में वरिष्ठ स्तरीय समिति ने निर्णय लिया है कि 5 दिन से अधिक अस्पताल में रुकने के आई.पी.डी. मामलों अथवा 10/- लाख रुपए से अधिक के बिल को क्षेत्रीय उप मुख्य लेखाधिकारी द्वारा उप मुख्य लेखा अधिकारी (चिकित्सा) मुख्यालय को प्रेषित करना होगा ताकि सभी संदेहास्पद भुगतानों अथवा अस्पताल में अधिक दिन तक रुकने, खास तौर पर आई.सी.यू./वेंटिलेटर पर, रखने के मामलों को दि.वि.प्रा. डिस्पेंसरी डॉक्टर (रों) अथवा अन्य डॉक्टर को भेजा जा सके। यह व्यय खास तौर पर दि.वि.प्रा. के आई.पी.डी. चिकित्सा व्यय (बैठक कार्यवृत्त सं. एफ2(11)2015-16/एम.सी.-II/पार्ट/228 दिनांक 26/07/2016) पर स्पष्ट नियंत्रण हेतु है।

संलग्नक : अनुलग्नक 'क', 'ख' और 'ग'

(संतोष कुमार)
मुख्य लेखा अधिकारी, दि.वि.प्रा.

प्रतिलिपि :

1. उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. के विशेष कार्य अधिकारी।
2. वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. के विशेष कार्य अधिकारी।
3. अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
4. सभी प्रधान आयुक्त, दि.वि.प्रा.।
5. मुख्य सतर्कता अधिकारी, दि.वि.प्रा.।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
7. मुख्य विधि सलाहकार/मुख्य वास्तुकार, दि.वि.प्रा.।
8. आयुक्त एवं सचिव, दि.वि.प्रा.।
9. सभी आयुक्त, दि.वि.प्रा.।
10. सभी मुख्य अभियंता, दि.वि.प्रा.।
11. वित्त सलाहकार (आवास)/निदेशक (भूमि लागत निर्धारण)/निदेशक (आंतरिक लेखा परीक्षा)/निदेशक (वित्त)/निदेशक (कार्मिक)/निदेशक (निर्माण)/निदेशक (वर्कचार्ज)/निदेशक (उद्यान) दक्षिण-पूर्व एवं उत्तर-पश्चिम।
12. सभी उप मुख्य लेखा अधिकारी (मुख्यालय), क्षेत्रीय सतर्कता भूमि लागत निर्धारण/उप वित्त सलाहकार (आवास)-I एवं II।
13. वरिष्ठ लेखाधिकारी (आकस्मिकता निधि)/वेतन एवं लेखा अधिकारी (प्रारंभिक अनुमान), लेखा अधिकारी (चिकित्सा)-I एवं II, एन.एम.एस., सहायक निदेशक (चिकित्सा)।
14. गार्ड फाइल।
15. सूचना पट्ट।
16. निदेशक (प्रणाली) को इसे दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

लेखा अधिकारी (चिकित्सा) I

अनुलग्नक 'क'

आईपीडी दावे :-

क्र. सं.	दावे की प्रकृति	विद्यमान शक्तियां (रूपए में)	प्रस्तावित / संशोधित शक्तियां (रूपए में)	टिप्पणियां
1.	सरकारी / पैनल अस्पतालों में उपचार हेतु कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के इनडोर चिकित्सा उपचार दावे (कार्यरत एवं सेवानिवृत्त)। सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारी / लेखा अधिकारी (चिकित्सा)I / लेखा अधिकारी (चिकित्सा)I	50,000 / - तक	75,000 / - तक	अन्य कोडल औपचारिकताओं के अनुपालन के अधीन + सीजीएचएस अस्पताल की सीमित राशि / प्राधिकृत दरों के संबंध में।
2.	उप मुख्य लेखा अधिकारी (उप वित्त सलाहकार (आवास))	1.50 लाख तक	2.0 लाख तक	- वही -
3.	मुख्य लेखा अधिकारी	1.5 लाख से ऊपर विद्यमान पूर्ण शक्ति	2.0 लाख से ऊपर पूर्ण शक्ति	- वही -
4.	मुख्य अभियंता	पूर्ण शक्ति (उप मुख्य लेखा अधिकारी के परामर्श से)	पूर्ण शक्ति (उप मुख्य लेखा अधिकारी के परामर्श से)	- वही -
5.	आयुक्त (योजना) / मुख्य वास्तुकार	पूर्ण शक्ति (लेखा अधिकारी (प्रारंभिक अनुमान) के परामर्श से)	पूर्ण शक्ति (लेखा अधिकारी (प्रारंभिक अनुमान) के परामर्श से)	- वही -
6.	निदेशक (उद्यान)	पूर्ण शक्ति (वित्त अधिकारी के परामर्श से)	पूर्ण शक्ति (वित्त अधिकारी के परामर्श से)	- वही -

7.	आयुक्त (खेल)	(खेल)/निदेशक	पूर्ण शक्ति (लेखा अधिकारी (खेल) के परामर्श से)	पूर्ण शक्ति (लेखा अधिकारी) (खेल) के परामर्श से)	- वही -
----	-----------------	--------------	--	---	---------

(संतोष कुमार)
मुख्य लेखा अधिकारी
दि.वि.प्रा.
अनुलग्नक 'ख'

चिकित्सा अग्रिम

क्र.सं.	दावे की प्रकृति	विद्यमान शक्तियां (रूपए में)	प्रस्तावित संशोधित शक्तियां (रूपए में)	टिप्पणियां
1.	सी.एस. (एम.ए.) नियमों की धारा 2 के अंतर्गत पैनल अस्पताल एवं सरकार के साथ पंजीकृत अस्पतालों (स्वास्थ्य विभाग) में चिकित्सा उपचार हेतु अग्रिम प्रदान			
	i) सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारी, लेखा अधिकारी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, लेखा अधिकारी (चिकित्सा) लेखा अधिकारी (ई) एच वेतन एवं लेखा अधिकारी (ई. डब्ल्यू), लेखा अधिकारी (पी.ई.) लेखा अधिकारी (खेल), सभी अधिशासी एवं उपनिदेशक (उद्यान)	2.00 लाख तक पूर्ण शक्ति	2.50 लाख तक पूर्ण शक्ति	कोडल औपचारिकताओं के अनुपालन की शर्त के अधीन
	ii) सभी उप मुख्य लेखा अधिकारी	2.00 लाख से अधिक 3.00 लाख तक पूर्ण शक्ति	2.50 लाख से अधिक 3.50 लाख तक पूर्ण शक्ति	— वही —
	iii) मुख्य लेखा अधिकारी	3.00 लाख से अधिक पूर्ण शक्ति	3.50 लाख से ऊपर पूर्ण शक्ति	— वही —

(संतोष कुमार)
मुख्य लेखा अधिकारी
दि.वि.प्रा.

पोस्ट ऑपरेटिव / सी.के.डी. / विशिष्ट / वंशानुगत बीमारियां

क्र. सं.	विवरण	विद्यमान शक्तियां (रूपए में)	प्रस्तावित प्रत्यायक्ति (रूपए में)
1.	कार्यरत कर्मचारियों तथा पेंशनरों के संबंध में सी.एस. (एम.ए.) नियमों की धारा-I के नियम 8 (22) के अंतर्गत वर्णित बीमारियों हेतु पोस्ट ऑपरेटिव उपचार से 'संबंधित मामले		
	i) उप मुख्य लेखा अधिकारी / क्षेत्रीय उप मुख्य लेखा अधिकारी	शून्य	
	ii) निदेशक (चिकित्सा) / निदेशक (खेल)	शून्य	20,000 / - तिमाही आधार पर (केवल सी.जी.एच.एस. दर)
	iii) क्षेत्रीय मुख्य अभियंता / आयुक्त (योजना) / मुख्य वास्तुकार	15,000 / - तिमाही आधार	25,000 / - तिमाही आधार पर (उप मुख्य लेखा अधिकारी / लेखा अधिकारी (पी.ई.) के परामर्श से) (केवल सी.जी.एच.एस. दर)
	iv) आयुक्त (खेल)	15,000 / - तिमाही आधार	25,000 / - तिमाही आधार पर लेखा अधिकारी (खेल) के परामर्श से)
	v) मुख्य लेखा अधिकारी	25,000 / - तिमाही आधार	तिमाही आधार पर 50,000 / - तक पूर्ण शक्ति (केवल सी.जी.एच.एस. दर)
	vi) वित्त सदस्य	पूर्ण शक्ति	पूर्ण शक्ति
2.	किडनी / सी.आर.एफ. / डायलेसिस से संबंधित मामले।		
	vii) उप मुख्य लेखा अधिकारी / क्षेत्रीय उप मुख्य लेखा अधिकारी	शून्य	5,000 / - प्रति माह तक (केवल सी.जी.एच.एस. दर)
	viii) निदेशक (चिकित्सा) / निदेशक (खेल)	शून्य	7500 / - प्रति माह तक (केवल सी.जी.एच.एस. दर)

	ix)	मुख्य अभियंता	25,000/- तिमाही आधार	40,000/- तिमाही आधार (उप मुख्य लेखा अधिकारी के परामर्श से) (केवल सी. जी.एच.एस. दर)
	x)	आयुक्त (योजना)/मुख्य वास्तुकार	25,000/- तिमाही आधार	40,000/- तिमाही आधार (लेखा अधिकारी (पी.ई.) के परामर्श से) (केवल सी.जी. एच.एस. दर)
	xi)	आयुक्त (खेल)	25,000/- तिमाही आधार	40,000/- तिमाही आधार (लेखा अधिकारी (खेल) के परामर्श से) (केवल सी.जी. एच.एस. दर)
	xii)	मुख्य लेखा अधिकारी	50,000/- तिमाही आधार	75,000/- तिमाही आधार (केवल सी.जी.एच.एस. दर)
	xiii)	वित्त सदस्य	पूर्ण शक्ति	पूर्ण शक्ति
3.		सी.एस. (एम.ए.) नियमों की धारा-3 के अंतर्गत विशेष/वंशानुगत बीमारियों से संबंधित मामले।		
	xiv)	उप मुख्य लेखा अधिकारी/क्षेत्रीय उप मुख्य लेखा अधिकारी	5,000/- तक	7,500/- तक (केवल सी.जी.एच.एस. दर)
	xv)	निदेशक (चिकित्सा)/निदेशक (खेल)	शून्य	10,000/- तक (केवल सी.जी.एच.एस. दर)
	xvi)	मुख्य लेखा अधिकारी/वित्त सलाहकार (आवास)	पूर्ण शक्ति	पूर्ण शक्ति (केवल सी.जी.एच.एस. दर)
	xvii)	मुख्य अभियंता	पूर्ण शक्ति (उप मुख्य लेखा अधिकारी के परामर्श से)	पूर्ण शक्ति (उप मुख्य लेखा अधिकारी के परामर्श से) (केवल सी.जी.एच.एस. दर)